



**LIFE**<sup>21</sup>  
Lifestyle For  
Environment

HEAD OFFICE  
Uttarakhand Pollution Control Board  
"Gauradevi Paryavaran Bhawan"  
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun  
E-mail : msukpcb@yahoo.com

Letter No.: UKPCB/HO/Gen-183-763/2024/262.

Date: 22.05.2024

BY E-MAIL

To,

The Registrar General  
Hon'ble National Green Tribunal  
Principal Bench, New Delhi  
Email: judicial-ngt@gov.in

Sub.: Sub.: Factual Report of Joint Committee in the matter of O.A. No. 97 of 2024 titled as "Madan Lal Vs. State of Uttarakhand & Ors." - reg.


Sir,

Kindly refer to order dated 05.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in the matter of O.A. No. 97 of 2024 titled as "Madan Lal Vs. State of Uttarakhand & Ors.". In Compliance of order passed by the Hon'ble NGT, please find attached herewith Factual Report of Joint Committee in the aforesaid matter.

You are requested to kindly place the Factual Report of Joint Committee with Annexures 1 to 4 before the Hon'ble Tribunal for kind consideration, please.

Encl.: As above.

Sincerely Yours'

  
(Dr. Rajendra Singh) 22.05.2024  
Scientific Officer

Copy to:

1. Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.
2. Shri Mukesh Verma, Advocate & Counsel for Uttarakhand Pollution Control Board for information and necessary action, please. (Through E-mail).
3. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Dehradun for information please. (Through E-mail).

  
Scientific Officer

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-97/2024 विषयक मदन लाल बनाम राज्य में  
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 05.04.2024 के कम में संयुक्त निरीक्षण।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-97/2024 मदन लाल बनाम राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 05.04.2024 में प्रकरण ग्राम पंचायत आसोई पाटन टोंस नदी में अवैध खनन के सम्बन्ध में निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
3. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।

तत्कम में उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्य को नामित किया गया,

1. उपजिलाधिकारी, चकराता।
2. डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. डा0 कृष्णेंदु मंडल, वैज्ञानिक -डी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री मदन लाल ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता की उपस्थिति में गठित समिति द्वारा राजस्व विभाग, खनन विभाग, वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति संलग्न है। (संलग्नक-1) उपरोक्त नामित सदस्यों की समिति एवं अन्य अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.04.2024 को निरीक्षण किया गया। आख्या निम्नवत् है-

शिकायतकर्ता श्री मदन लाला ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा प्रस्तुत संदर्भित पत्र में उल्लेखित स्थल तहसील चकराता के ग्राम पंचायत आसोई पाटन के मोटर मार्ग अन्तर्गत स्थित भू-भाग है, निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत आसोई (पाटन) मोटरमार्ग के निकट स्थित 09 स्थानों पर बालू/रेत को भण्डारित / एकत्रित किया गया पाया गया तथा टोंस नदी में पूर्व में हुए अवैध खनन के साक्ष्य पाये गये। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मौका निरीक्षण दिनांक को प्रश्नगत स्थल पर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन का कार्य करते हुए नहीं पाया गया।

ग्राम आसोई (पाटन) मोटर मार्ग के किनारे मौके निरीक्षण दिनांक को भण्डारित/एकत्रित किये गये बालू/रेत की पैमाईस की गयी, जो क्रमशः 7.50 घनमीटर, 105 घनमीटर, 78.75 घनमीटर, 7.80 घनमीटर, 3.60 घनमीटर, 29.26 घनमीटर, 480 घनमीटर, 60 घनमीटर एवं 75.60 घनमीटर बालू/रेत पाया गया। मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ता श्री मदन लाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 296.11 घनमीटर बालू एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 551.40 घनमीटर बालू को अवैध रूप से एकत्रित/भण्डारित किया गया है। (संलग्नक-2)

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1, की अधिसूचना संख्या-1874/VII-A-1/2021/158 ख-04 टीसी, दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 14(5)(ख) में उल्लेखित है कि "अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा-21 की उपधारा (2) एवं उपधारा (5) के अनुसार अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज/भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उपनियम (5)(क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2023 के नियम 57(1) के प्राविधानानुसार जो कोई भी नियम-3 के उपबन्धों का उल्लंघन करें व दोषी सिद्ध हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनित खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का 02 (2) गुना तथा तत्पश्चात् रॉयल्टी का 03 (तीन) गुना के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।





भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून की आख्यानुरार तहसील चकराता के ग्राम पंचायत आसोई (पाटन) के मोटर मार्ग पर शिकायतकर्ता की शिकायत के कम में श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 296.11 घनमीटर/532.99 टन बालू एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 551.40 घनमीटर/992.52 टन बालू का अवैध रूप से भण्डारण/एकत्रित किये जाने पर राज्य प्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व संशोधित नियमावली-2023 के नियम (145)(क) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2023 के नियम 57(1) के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर श्री ग्यारह सिंह पर रॉयल्टी का दो गुना अर्थात् रू 140/- प्रति टन की दर से (532.99x70x2) रू 74,619/- (रू 74,619 हजार छः सौ उन्नीस मात्र) एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह पर रॉयल्टी का दो गुना अर्थात् रू 140/- प्रति टन की दर से (992.52x70x2) रू 1,38,953/- (रू 1,38,953 एक लाख अड़तीस हजार नौ सौ तिनपेन मात्र) की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आंगणित होती है।

मौका निरीक्षण को ग्राम पंचायत आसोई (पाटन) के नीचे स्थित टोंस नदी क्षेत्र में अवैध रूप से उपखनिज उत्खनन कार्य पाया गया। मौके पर टोंस नदी में 05 स्थलों पर उत्खनित किये गये उपखनिज की पैमाईस की गयी, जो औसतानुसार निम्नवत् पायी गयी-

1. ल0 09 मी0 X चौ0 03 मी0 X गह0 0.70 मी0	=	18.90 घनमीटर (आर0बी0एम0)
2. ल0 27 मी0 X चौ0 05 मी0 X गह0 1.00 मी0	=	135 घनमीटर (आर0बी0एम0)
3. ल0 09 मी0 X चौ0 04 मी0 X गह0 0.50 मी0	=	18 घनमीटर (आर0बी0एम0)
4. ल0 03 मी0 X चौ0 02 मी0 X गह0 0.50 मी0	=	03 घनमीटर (आर0बी0एम0)
5. ल0 20 मी0 X चौ0 07 मी0 X गह0 1.50 मी0	=	210 घनमीटर ((बालू/रेत)

मौका निरीक्षण दिनांक को ग्राम पंचायत आसोई (पाटन) के नीचे स्थित टोंस नदी क्षेत्र में कुल 384.90 घनमीटर/692.82 टन उपखनिज आर0बी0एम0, बालू/रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि टोंस नदी क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह एवं श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा किया गया। टोंस नदी क्षेत्र में कुल 384.90 घनमीटर/692.82 टन उपखनिज आर0बी0एम0, बालू/रेत पर अवैध रूप से उत्खनन कार्य किये जाने पर वर्तमान में राज्य प्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व संशोधित नियमावली-2023 के नियम 14(5)(क) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2023 के नियम 57(1) के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर अवैध खननकर्ता पर रॉयल्टी का दो गुना अर्थात् रू 140/- प्रति टन की दर से (692.82X70X2) रू 96,995/- (रू 96,995 हजार नौ सौ पित्तान्वे मात्र) अर्थदण्ड के रूप में आंगणित होती है।

मौके पर शिकायतकर्ता श्री मदन लाल ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ग्राम आसोई (पाटन) मोटर मार्ग पर एकत्रित/भण्डारित उपखनिज बालू/रेत एवं टोंस नदी क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन का कार्य श्री दीवान सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह ग्राम प्रधान आसोई के दिशा निर्देशन में श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह एवं श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा किया गया है। (संलग्नक-3)

उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में भी राजस्व विभाग द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्यवाही की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है। (संलग्नक-4)

1. वाहन चालक सफरदिल पुत्र श्री सब्बीर अहमद, ग्राम दौलतपड़, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून का वाहन संख्या-HP 63(C)-3370 का अर्थदण्ड वाहन स्वामी शमशाद अली पुत्र श्री लिकायत, ग्राम तरसाणू तहसील चौपाल जिला सिरमौर (हि0प्र0) कुल 34,961/- अदा किया गया।
2. वाहन स्वामी/चालक धमेन्द्र शर्मा पुत्र श्री योगराज निवासी ग्राम मचराना, तहसील धामनी, जिला शिमला (हि0प्र0) से अर्थदण्ड रू 31,985/- अदा किया गया।

*File*

*File*

3. श्री ग्यारा सिंह चौहान पुत्र श्री रामसिंह, ग्राम आसोई के द्वारा मौके पर आर0सी0 आदि दस्तावेज न देने के कारण उसे उपजिलाधिकारी महोदय चकराता के न्यायालय से नोटिस जारी किया गया तथा नोटिस को ग्यारा सिंह से तामिल करा दिया गया। उसके द्वारा अभी तक कोई जुर्माना अदा नहीं किया गया है।
4. वाहन का चैसिस नं-MEC7604AFPPP067265 बिना नम्बर प्लेट का डंपर टौस नदी से रेत भर कर आ रहा है। वह हमें देख कर हिमाचल प्रदेश की सीमा पर चला गया, जिस पर उक्त वाहन को टोल टैक्स बेरियर पर खड़ी पुलिस कर्मी विक्रम सिंह ठाकुर के सुपुर्द इस आशय से किया गया है उक्त डंपर चालक के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करें, जिनका फोन नं-9015378588 है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।



(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
देहरादून



(डा0 कृष्णेंदु मंडल)  
वैज्ञानिक -डी,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु  
परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।



तहसीलदार / उपजिलाधिकारी  
चकराता

मातो राष्ट्रीय एरर अभियानात मे सोमवार २० ऑक्टोबर तेव्हा  
 ०७/२०२४ दिवसात मजबूत वारान्त राखत मे मातो राष्ट्रीय एरर  
 अभियानात एरर वारान्त वारान्त दिनांक ०५.१०.२०२४ मे मजबूत वारान्त  
 मजबूत वारान्त दिनांक २९.१०.२४ को वारान्त वारान्त वारान्त  
 वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त  
 वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त  
 वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त वारान्त

- | क्र.सं. | नाम                        | पदाधिकारी             | संपर्क               |
|---------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1       | D. K. Mondal               | JJ Director<br>MoEFCC | <u>JK</u>            |
| 2       | Dr. R. K. Chatterjee       | RO, UKPCB             | <u>RK</u>            |
| 3       | Rakesh EANDAZ              | AR, UKPCB             | <u>RL</u>            |
| 4       | Manohar Lal Anjuwal        | Te. (Ch)              | <u>MA</u> 9084397659 |
| 5       | Rahul Meji                 | Mines Inspector       | <u>RM</u> 9634110388 |
| 6       | Mr. Krishna Singh Bhandari | R.O Kanasar           | <u>KS</u> 7505639893 |
| 7       | Mr. Pramod Prasad Bangwal  | (Forester)            | <u>PB</u>            |
| 8       | Mr. Ashish Singh           | (Forest Beat Officer) | <u>AS</u>            |
| 9       | Mr. Mayank Bastwal         | (Forest Guard)        | <u>MB</u>            |
| 10      | Mr. Madan Lal              | मजबूत वारान्त         | <u>ML</u> 8580983108 |

NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT) नई दिल्ली में योजित अपील No. 97/2024 मदन लाल बनाम  
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण अख्या :-


कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या 1473/खनिज-अनु0/2024 दिनांक 25 अप्रैल, 2024 एवं कार्यालय उपजिलाधिकारी चकरात के पत्रांक संख्या 353/एस0टी0/2024 दिनांक 25 अप्रैल, 2024 के क्रम में मा0 NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT) नई दिल्ली में योजित मूल अपील संख्या No.97/2024 मदन लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 05 अप्रैल, 2024 को पारित आदेश के अनुपालन गठित समिति राजस्व विभाग, खनन विभाग, वन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शिकायकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता की उपस्थिति में शिकायती स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29.04.2024 को किया गया, आख्या निम्नवत है :-

मौका निरीक्षण दिनांक शिकायकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा प्रस्तुत सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित स्थल तहसील चकराता के ग्राम पंचायत असोई पाटन के मोटर मार्ग अन्तर्गत स्थित भू-भाग है, निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत असोई (पाटन) मोटर मार्ग के निकट स्थित 09 स्थानों पर बालू/रेत को भण्डारित/एकत्रित किया गया पाया तथा टौस नदी में पूर्व में हुए अवैध खनन के साक्ष्य पाये गये। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मौका निरीक्षण दिनांक को प्रश्रनगत स्थल पर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन का कार्य करते हुए नहीं पाया गया।

ग्राम असोई (पाटन) मोटर मार्ग के किनारे मौके निरीक्षण दिनांक को भण्डारित/एकत्रित किये गये बालू/रेत की पैमाइस की गयी, जो क्रमशः 7.50 घनमीटर, 105 घनमीटर, 78.75 घनमीटर, 7.80 घनमीटर, 3.60 घनमीटर, 29.26 घनमीटर, 480 घनमीटर, 60 घनमीटर एवं 75.60 घनमीटर बालू/रेत पाया गया। मौके पर उपस्थित शिकायकर्ता श्री मदन लाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 296.11 घनमीटर बालू एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 551.40 घनमीटर बालू को अवैध रूप से एकत्रित/भण्डारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1874/VII-A-1/2021/158 ख-04 टीसी, दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 14(5)(ख) में उल्लिखित है कि 'अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) एवं उपधारा (5) के अनुसार अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज/भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उपनियम (5)(क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2023 के नियम 57(1) के प्राक्ख्यानानुसार जो कोई भी नियम-3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोषी सिद्ध हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनित खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का 02 (दो) गुना तथा तत्पश्चात रॉयल्टी का 03 (तीन) गुना के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।'


उपरोक्तानुसार तहसील चकराता के ग्राम पंचायत आसोई (पाटन) के मोटर मार्ग पर शिकायकर्ता की शिकायत के क्रम में श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 296.11 घनमीटर/532.99 टन बालू एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 551.40 घनमीटर/992.52 टन बालू का अवैध रूप से भण्डारण/एकत्रित किये जाने पर राज्य प्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व संशोधित नियमावली-2023 के नियम 14(5)(क) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2023 के नियम 57(1) के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर श्री ग्यारह सिंह पर रॉयल्टी का दो गुना अर्थात ₹ 140/- प्रति टन की दर से (532.99X70X2) ₹ 74,619/- (₹ चौहत्तर हजार छः सौ उन्नीस मात्र) एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह पर रॉयल्टी का दो गुना अर्थात ₹ 140/- प्रति टन की दर से (992.52X70X2) ₹ 1,38,953/- (₹ एक लाख अड़तीस हजार नौ सौ तिरपेन मात्र) की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आंगणित होती है।



मौका निरीक्षण को ग्राम पंचायत आसोई (पाटन) के नीचे स्थित टोंस नदी क्षेत्र में अवैध रूप उपखनिज उत्खनन कार्य पाया गया। मौके पर टोंस नदी में 05 स्थलों पर उत्खनित किये गये उपखनिज की पैमाईस की गयी, जो औसतानुसार निम्नवत पायी गयी :-

1. ल0 09 मी0 X चौ0 03 मी0 X गह0 0.70 मी0 = 18.90 घनमीटर (आर0बी0एम0)
2. ल0 27 मी0 X चौ0 05 मी0 X गह0 1.00 मी0 = 135 घनमीटर (आर0बी0एम0)
3. ल0 09 मी0 X चौ0 04 मी0 X गह0 0.50 मी0 = 18 घनमीटर (आर0बी0एम0)
4. ल0 03 मी0 X चौ0 02 मी0 X गह0 0.50 मी0 = 03 घनमीटर (आर0बी0एम0)
5. ल0 20 मी0 X चौ0 07 मी0 X गह0 1.50 मी0 = 210 घनमीटर (बालू/रेत)

उपरोक्तानुसार मौका निरीक्षण दिनांक को ग्राम पंचायत आसोई (पाटन) के नीचे स्थित टोंस नदी क्षेत्र में कुल 384.90 घनमीटर/692.82 टन उपखनिज आर0बी0एम0, बालू/रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित शिकायकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि टोंस नदी क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य श्री विजय सिंह पुत्र श्री धन सिंह एवं श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा किया गया। टोंस नदी क्षेत्र में कुल 384.90 घनमीटर/692.82 टन उपखनिज आर0बी0एम0, बालू/रेत पर अवैध रूप से उत्खनन कार्य किये जाने पर वर्तमान में राज्य प्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व संशोधित नियमावली-2023 के नियम 14(5)(क) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2023 के नियम 57(1) के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर अवैध खननकर्ता पर रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140/- प्रति टन की दर से (692.82X70X 2) रू0 96,995/- (रू0 छियान्नेवे हजार नौ सौ पिचान्नेवे मात्र) अर्थदण्ड के रूप में आंगणित होती है। मौके पर शिकायकर्ता श्री मदन लाल ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ग्राम आसोई (पाटन) मोटर मार्ग पर एकत्रित/भण्डारित उपखनिज बालू/रेत एवं टोंस नदी क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन का कार्य श्री दीवान सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह ग्राम प्रधान आसोई के दिशा-निर्देशन में श्री विजय सिंह पुत्र श्री धन सिंह एवं श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा किया गया है।



अतः उपरोक्तानुसार निरीक्षण सादर प्रेषित है।

30/04/2024  
खान निरीक्षक  
भूतत्व एवं खनिज विभाग  
देहरादून

(स)

